

राजस्थान सरकार  
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग  
(अनुभाग-3)



क्रमांक-एफ-1(2)ग्रावि/नरेगा/मा.द./पार्ट-4/2010-11  
जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,  
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम राजस्थान,  
समस्त (राजस्थान)।

जयपुर, दिनांक : 29/6/11.

विषय :- समूहवार माप एवं भुगतान नहीं करने वाले अभियंताओं/कार्यक्रम अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई कर सूचित करने बाबत।

प्रसंग :- विभाग के समसंख्यक पत्र दिनांक 20.7.10, 31.08.2010 एवं पत्र दिनांक 15.11.2010.  
महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासांगिक पत्रों द्वारा आपको निरन्तर प्रत्येक कार्य स्थल पर श्रमिकों का नियोजन 5-5 व्यक्तियों के समूह में करने, प्रतिदिन मेट द्वारा प्रत्येक समूह के किये गये कार्य की माप को अकुशल श्रमिकों के मस्टररोल के पृष्ठ भाग में समूहवार अंकन कर मस्टररोल के इसी पृष्ठ के बिन्दु संख्या-7 के अनुसार प्रति समूह प्रति व्यक्ति प्रतिदिन मजदूरी निकालकर, प्रत्येक समूह के दैनिक मजदूरी गणना कार्ड में मेट द्वारा प्रतिदिन अंकन कराने के निर्देश दिये गये थे।

इन निर्देशों के जारी होने के लंबे समय के उपरांत भी यह पाया गया है कि राज्य की कतिपय पंचायत समिति क्षेत्रों में अभी तक इनकी पालना नहीं की जा रही है एवं कार्य स्थल पर कार्यरत समस्त श्रमिकों को श्रमिक समूहवार पृथक-पृथक मजदूरी के स्थान पर एक समान मजदूरी का भुगतान किया जा रहा है। अकुशल श्रमिक की प्रत्येक मस्टररोल के साथ दो दैनिक मजदूरी गणना कार्ड (प्रत्येक समूह के लिए 1) भी जारी नहीं किये जा रहे हैं, जो कि राज्य सरकार के निर्देशों का उल्लंघन है।

यह भी पाया गया है कि प्रत्येक कार्य स्थल पर अर्द्ध कुशल/कुशल श्रमिकों हेतु संघारित मस्टररोल में पखवाड़ेवार श्रम घटक, सामग्री घटक, अर्द्ध कुशल एवं कुशल श्रमिकों पर होने वाले व्यय एवं पखवाड़े के दौरान कार्य स्थल पर प्राप्त की गई तथा उपयोग में ली गई सामग्री का अंकन भी संबंधित मेट, ग्राम रोजगार सहायक एवं कनिष्ठ अभियंता/तकनीकी सहायक द्वारा नहीं किया जा रहा है, जिससे कार्य के उपयोगिता प्रमाण पत्र निरन्तर रूप से स्वतः ही तैयार नहीं हो पा रहे हैं।

अतः इस संबंध में यह निर्देश जारी किये जाते हैं कि जिन ग्राम पंचायतों में मेट द्वारा प्रतिदिन समूहवार माप नहीं किया जा रहा है एवं कनिष्ठ अभियंता/कनिष्ठ तकनीकी सहायक द्वारा गुणांक-सी (कनिष्ठ अभियंता एवं मेट के अनुसार कार्य की गणना राशि का अनुपात) की गणना मस्टररोल पर नहीं की जा रही है, वहां के सहायक अभियंता(नरेगा) का मासिक वेतन तब तक जारी नहीं किया जावे जब तक कि उनके द्वारा मेटों को सघन प्रशिक्षण देकर उक्त व्यवस्था पंचायत समिति क्षेत्र की समस्त ग्राम पंचायतों में लागू नहीं करवा दी जाती है। इस बाबत समस्त सहायक अभियंतागण को इंदिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान, जयपुर में दिनांक 20.6.2011 से दिनांक 30.6.2011 तक आयोजित प्रशिक्षण में भी अवगत करावा दिया गया था एवं आप द्वारा भी अग्रिम रूप से पुनः अवगत करवा दिया जावे।

कृपया उक्त निर्देशों की प्रत्येक कार्य स्थल पर अक्षरशः पालना करवाकर दिनांक 3 अगस्त, 2011 तक पालना रिपोर्ट भिजवाये एवं उपेक्षा करने वाले कार्मिकों के विरुद्ध धारा-91-ए राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 के अंतर्गत कठोर कार्रवाई की जावे।

भवदीय, 3

(सी.एस.राजन)

अतिरिक्त मुख्य सचिव

अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक प्रथम/द्वितीय, महात्मा गांधी नरेगा, राजस्थान तथा मुख्य/अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, समस्त राजस्थान।

29/6/11  
परि.निदे. एवं पदेन उप सचिव, ईजीएस